Circular

(35)

2249

पत्र संख्या-21 / रा.सू.आ.-03 / 2015,सा0प्र0.....

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह, भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 15.2.16.

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-8(1)(j) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय के संबंध में।

प्रसंगः— राज्य सूचना आयोग का पत्रांक-1 / वि.-30 / 2015-1183(रा.सू.आ.) / पटना दिनांक- 22.12.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निदेशानुसार S.L.P(c) No-27734 / 2012 गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त एवं अन्य में दिनांक 03.10.2012 को पारित न्यायादेश एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार) के ज्ञापन दिनांक 14.08.2013 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त वाद में माननीय सर्वोच्च न्याय़ाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-8(1)(j) के संबंध में यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी गयी है कि किसी (सरकारी) संगठन में किसी सरकारी पदाधिकारी / कर्मी का कार्य-कलाप (performance) नियोक्ता एवं (सरकारी) सेवक के बीच का मामला है और सामान्यतः ऐसे मामलों का विनियमन सेवा नियमों से होता है जो निजी सूचना के दायरे में आता है तथा ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण का किसी कार्य या लोक हित से कोई संबंध नहीं होता है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा भी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.08.2013 निर्गत किया गया है।

अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से दिये गये निदेशों को अपने सभी अधीनस्थ राज्य लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों के बीच परिचारित कराते हुए उसमें दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
10/2/2016
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।